



# राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली

एन.आई.एफ.टी अधिनियम 2006 द्वारा शासित और वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित  
(डिजाइन, प्रबंधन और टेक्नोलॉजी का एक प्रीमियर संस्थान)  
शैक्षणिक मामले विभाग

9327(2)/AA/NIFT-RB/UP Govt. Scholarship/2024

24 अक्टूबर 2024

## परिपत्र

समस्त छात्र – छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिए हैं।

अतः निफ्ट के सामान्य/ओ०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी०/अल्पसंख्यक श्रेणी के इच्छुक/पात्र छात्र-छात्राएं (जो स्कालरशिप हेतु योग्य हैं) अपने आवेदन फॉर्म दिनांक 15 नवंबर, 2024 तक ऑनलाइन जमा कर संस्था के "एकेडमिक अफेयर्स" विभाग में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति को मूल फॉर्म के साथ संलग्न कर दिनांक 20 नवंबर, 2024 तक भौतिक रूप में जमा करना सुनिश्चित करें।

आवेदन हेतु निम्न जरूरी बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :-

- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- सामान्य/ओ०बी०सी०/अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्राओं की वार्षिक पारिवारिक आय रु० 2,00,000/- तथा एस०सी०/एस०टी० श्रेणी के छात्राओं की वार्षिक पारिवारिक आय रु० 2,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्र – छात्राओं के हाई-स्कूल अंकपत्र में दिए गए नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आधार नंबर छात्र – छात्राओं के बैंक खाते व मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
- छात्र – छात्राओं का 'डिजीलॉकर' में अकाउंट होना चाहिए तथा उनके समस्त शैक्षणिक अभिलेख/सर्टिफिकेट उस पर अपलोड होने चाहिए।
- छात्र – छात्राओं के आधार 'National Payments Corporation of India'(NPCI) पोर्टल पर बैंक द्वारा लिंक होना चाहिए।

छात्र-छात्राएं स्कालरशिप की जानकारी हेतु एकेडमिक अफेयर्स व सी०ओ०ई० विभाग से संपर्क कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी व छात्रवृत्ति नियमावली हेतु उत्तर प्रदेश स्कालरशिप की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in/> पर विजिट कर सकते हैं।

**नोट:-** छात्रवृत्ति नियमावली में दिए गए प्राविधानों के तहत छात्र का आवेदन एक ही छात्रवृत्ति हेतु संस्था द्वारा अग्रसारित किया जायेगा। अतः छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति हेतु एक ही विभाग में आवेदन करें।

  
24/10/24

(एम० कंदास्वामी)

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि -

1. निदेशक, महोदय को सूचनार्थ।
2. सी०ए०सी० को सूचनार्थ।
3. एस०डी०ए०सी० को सूचनार्थ।
4. समस्त केंद्र समन्वयक को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. नोटिस बोर्ड।



## राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली

एन.आई.एफ.टी अधिनियम 2006 द्वारा शासित और वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित  
(डिजाइन, प्रबंधन और टेक्नोलॉजी का एक प्रीमियर संस्थान)  
शैक्षणिक मामले विभाग

9327(2)/AA/NIFT-RB/UP Govt. Scholarship/2024

24<sup>th</sup> October, 2024

### Circular

All NIFT Raebareli students are informed that the Social Welfare Department, Uttar Pradesh has invited online application forms for scholarship for the financial year 2024-25.

The eligible students of General/OBC/SC/ST/Minority category may submit their online application form by **15<sup>th</sup> November, 2024** at the website <https://scholarship.up.gov.in> and the submit hardcopy (printout) of the application alongwith all mandatory documents in the "Academic Affairs" Department in physical form by **20 November, 2024**.

The following are the eligibility criteria for the student to avail the UP Govt. Scholarships:

- Resident of Uttar Pradesh.
- The annual family income of General/OBC/Minority category students should not exceed Rs.2,00,000/- and the annual family income of SC/ST category students should not exceed Rs.2,50,000/-.
- The name and details (father's name & date of birth) mentioned in Aadhaar Card of the respective student should be matched with the high-school marksheet of the students. Aadhaar number should be linked to the bank account and mobile number of the respective student.
- Students should have account in 'Digilocker' and their all Educational Papers/Certificates should be upload on the same.
- The students Aadhar should be link with 'National Payments Corporation of India'(NPCI) Portal by respective Bank.

The students are advised to visit Uttar Pradesh Govt. Scholarship [website](https://scholarship.up.gov.in/) <https://scholarship.up.gov.in/> and may contact the Academic Affairs Department for further information of scholarships.

**Note:- Under the provisions given in the Scholarship Rules, only one scholarship application of the student will be forwarded by the institution, therefore, students are directed to apply only one scholarship.**

  
(M. Kandaswamy)

 Assistant Director (Academic)

#### Copy:

1. Director - for kind information.
2. CAC - for information.
3. SDAC - for information.
4. All CC's - for necessary action.
5. Notice Board.